


4/1/19

अपीलान्ट सेव अपीलान्ट के अभिमाषक में से
कोई उपस्थित नहीं। रैस्पों के अभिमाषक उप
अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अभिमाषक को कई
बार अन्तराल-अन्तराल में आवजें लगवाई गई
परन्तु अपीलान्ट सेव अपीलान्ट के अभिमाषक
में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अतः यह अपील अदम दायरी अदम पेरवी
में खामिज की जाती है। पत्रावली फौजदारी शुमार
होकर नम्बर से कम की जाकर बाउ तकमील
शालिखत इफतह है। जोदेश सुनाया गया।


[रजेश वर्मा]

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर